37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित 3883/7793 स्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि की वादीगण ब0हि0ब0 की खातेदार काश्तकार है। इसी नुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स० 1 के नाम शेष भूमि यथावत रखते हुए वादीगण का म राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वाद पेश होने पर वर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को नोटिस सम्मन तलब किया या। सम्मन तामिल होने के बाद जवाब दावा प्रतिवादीगण स० 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत या गया कि वादीगण, प्रतिवादी स० 1 व 2 की पुत्रीया है । वाद पत्र की चरण स० 3 में वित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जो कि पीढी दर पीढी चली आ रही है। समें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि । मांग किये जाने पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य हुये घरू बंटवारा में प्रतिवादी स० के नाम अंकित चक न० 2 सी.डी. आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त ाता स० 39/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम 83/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि ब0हि0ब0 घरू बंटवारा में वादीगण को प्त हुई । जिस पर वादीगण घरू बंटवारा के समय से ही काबिज रहकर काश्त करती चली रही है, कथन सत्य होने से स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन सत्य होने स्वीकार हैं । वाद पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन वाद कारण हासिल करने के लिए कित किये गये है । अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि यदि चक न० 2 सी. डी. र. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39/37 में अंकित कुल 7. 93 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित 3883/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 क्टेयर भूमि का वादीगण को ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी नुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स० 1 के नाम शेष भूमि यथावथ रखते हुए वादीगण का ाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं गा ।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत जमावंदी चक सीडीआर प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 करवायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि संबंध में मुताबिक जवाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने पने वाद पत्र में वर्णित आराजी में अपने हकों की घोषणा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का वलोकन कर मुताबिक दस्तावेज एंव जवाव दावा वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण ीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि चक 2 सीडीआर के ाता सं0 39/37 की कुल 7.793है. भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 3883/7793है भूमि से 3.036है. भूमि के वादीयागण सं0 1 व 2 को वहिस्सा वरावर अनुसार खातेदार काश्तकार ोषित किया जाता है। व इसी अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाकर यदि कृषि ूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने पर व किसी संक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो ो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में पालना की जाकर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा भयपक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/24 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से ारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 — 537/2025

उनवान : —

1. शिक्षा भारती पुत्री प्रभू दयाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुशीला पुत्री प्रभू दयाल पत्नी अंकित जान्दू जाति जाट निवासी खाराखेड़ा हाल तलवाड़ा झील त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. प्रभू दयाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कमला देवी पत्नी प्रभू दयाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
श्री कुन्दलाल वादीगण
श्री विकास शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 28.4.26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक न0 2 सी. डी. आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम 3883/7793 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई साईन जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है जो कि वाद का आधार है । वादीगण, प्रतिवादी स० 1 व 2 की पुत्रीया है। वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि की मांग किये जाने पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य हुये घरू बंटवारा में प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित चक न0 2 सी.डी.आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम 3883/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि ब०हि०ब० घरू बंटवारा में वादीगण को प्राप्त हुई । जिस पर वादीगण घरू बंटवारा के समय से ही काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है । वाद पत्र की चरण स० 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स० 1 के नाम से दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत असर पड़ रहा है। वादीगण को बैंक से फसलाना ऋण प्राप्त करने, रकमराज जमा करवाने व पानी की पर्ची बनवाने व अन्य भूमि सम्बंधित कार्य करवाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण घोषणा इस आशय की प्राप्ति की अधिकारी है कि चक न० 2 सी.डी.आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित 3883/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि की वादीगण ब0हि0ब0 की खातेदार काश्तकार है । वादीगण ने आज से दो दिवस पूर्व प्रतिवादी स० 1 से चक 2 सी.डी. आर. में मिलकर वाद पत्र की चरण स० 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी स० 1 ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है । वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय कि जारी फरमायी जावे कि चक न0 2 सी.डी.आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39

/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित 3883/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि की वादीगण ब0हि0ब0 की खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स० 1 के नाम शेष भूमि यथावथ रखते हुए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद जवाब दावा प्रतिवादीगण स० 1 ता 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया कि वादीगण, प्रतिवादी स० 1 व 2 की पुत्रीया है । वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि की मांग किये जाने पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य हुये घरू बंटवारा में प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित चक न० 2 सी.डी. आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम 3883/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि ब0हि0ब0 घरू बंटवारा में वादीगण को प्राप्त हुई । जिस पर वादीगण घरू बंटवारा के समय से ही काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है, कथन सत्य होने से स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार हैं । वाद पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन वाद कारण हासिल करने के लिए अंकित किये गये है । अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि यदि चक न० 2 सी. डी. आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 39/37 में अंकित कुल 7.793 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित 3883/7793 हिस्सा भूमि में से 3.036 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स० 1 के नाम शेष भूमि यथावथ रखते हुए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं होगा ।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी चक 2 सीडीआर प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 करवायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में मुताबिक जवाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित आराजी में अपने हकों की घोषणा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन कर मुताबिक दस्तावेज एंव जवाब दावा वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि चक 2 सीडीआर के खाता सं0 39/37 की कुल 7.793है. भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 3883/7793है भूमि में से 3.036है. भूमि के वादीयागण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाकर यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने पर व किसी संक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में पालना की जाकर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/1/24 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 537/2025

अनवान : —

1. शिक्षा भारती पुत्री प्रभू दयाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुशीला पुत्री प्रभू दयाल पत्नी अंकित जान्दू जाति जाट निवासी खाराखेड़ा हाल तलवाड़ा झील त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. प्रभू दयाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कमला देवी पत्नी प्रभू दयाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी कुन्दनलाल व विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 2 सीडीआर के खाता सं0 39/37 की कुल 7.793है. भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 3883/7793 है भूमि में से 3.036है. भूमि के वादीयागण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाकर यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने पर व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में पालना की जाकर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 28/4/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी